

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

संचिका सं० -6/एन०-08- /2019-.....

दिनांक- / /2023

नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में अस्पतालों के माध्यम से क्लिनिकल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या-1455(1), दिनांक 31.12.2018 के आलोक में निम्न नर्सिंग संस्थान को उनके नाम के सम्मुख अस्पताल में पाठ्यक्रम संचालन अवधि में क्लिनिकल प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	संस्थान का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अस्पताल का नाम
1.	के०आर० नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पता-काशी बाजार, भगवान बाजार, छपरा।	ए०एन०एम०, जी०एन०एम० तथा बी०एस०सी० नर्सिंग	रेफरल अस्पताल, बनियापुर, रेफरल अस्पताल, मढ़ौरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिविलगंज, सारण। सदर अस्पताल, छपरा, सारण।

2- विभागीय संकल्प संख्या-1455(1), दिनांक 31.12.2018 द्वारा क्लिनिकल प्रशिक्षण की सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान संबंधित प्रशिक्षुओं को करना होगा।

ह०/-

(डॉ० सुनील कुमार झा),

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/एन०-08-41/2019, 1851(6)/पटना, दिनांक:- 04/12/2023

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, सारण, छपरा/अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, छपरा, /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बनियापुर एवं मढ़ौरा, सारण/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर एवं रिविलगंज, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक, के०आर० नर्सिंग कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, पता-काशी बाजार, भगवान बाजार, छपरा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।